

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

279

क्रमांक/बैठक/2011/DC(E)/1802-1/1143-79 दिनांक: 19 मई, 2011

बैठक कार्यवाही विवरण

श्री सिद्धार्थ महाजन, जिला कलक्टर एवं आयुक्त एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 5 मई, 2011 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

बैठक में कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के कार्यवाही विवरण पर चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या 2 :: विवेक विहार योजना की लॉटरी एवं उसके बारे में विचार विमर्श

विवेक विहार योजना के तहत ग्राम सांगरिया की 1814.06 बीघा एवं ग्राम कुडी भगतासनी की 1280.10 बीघा कुल 3094-16 बीघा निजी खातेदारों की अवाप्त सुदा भूमि शामिल है। इसके अतिरिक्त रास्तों आदि की 65.17 बीघा भूमि एवं ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 192 व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 235 में पर्यावरण संरक्षण ढाक बनाया जाना प्रस्तावित है।

अवाडार्धीन भूमि के नकद मुआवजे के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि संबंधी मांग के संबंध में प्रस्ताव पत्र क्रमांक भूआसा/2010/20-25 दिनांक 19 जनवरी, 2010 को प्रेषित किये गये जिसके कम में राज्य सरकार के पत्रांक प.6 (40) नविवि/ 3/ 96 दिनांक 20 मई, 2010 द्वारा नकद मुआवजे के बदले अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक विकसित भूमि दिये जाने की अनुमति प्रदान की।

योजना के संबंध में अवाडार्धारकों से विकल्प प्राप्त किए गए। लगभग 3000 विकल्प प्राप्त हुए हैं। योजना के संबंध में कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 में प्रस्ताव पारित किया जाकर प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान को दिनांक 16 नवम्बर, 2010 को प्रेषित किये गये हैं। योजना के संबंध में दिनांक 11 नवम्बर, 2010 को माननीय विधायक श्री मलखानसिंह एवं काश्तकारों के संगठन किसान संघर्ष समिति कुडी भगतासनी - सांगरिया से चर्चा की गयी है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2011 को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। योजनाधीन भूमि पर वर्तमान में विकास कार्य (साफ सफाई एवं सड़कों आदि का डिमार्केशन) चालू है। योजना का ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च, 2011 में अनुमोदित कर दिया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 21 मार्च, 2011 को योजना अनुमोदित कर दी गयी है।

Handwritten mark or signature.

280

अतः विवेक विहार योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु लॉटरी की प्रक्रिया निर्धारित करने, मुआवजाधारको को भूखण्ड देने एवं उसकी लॉटरी प्रक्रिया का निर्धारित करने, आरक्षित दर निर्धारित एवं संशोधित ले-आऊट प्लान पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

- 1- बैठक में प्रस्तुत विवेक विहार योजना के मानचित्र को स्वीकृत करने को निर्णय लिया गया।
- 2- बैठक में आरक्षित दर 6,500/- रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गयी।
- 3- मुआवजे में दिये जाने वाले भूखण्डों का आवंटन कम्प्यूटराईज लॉटरी द्वारा किया जावे। इसके लिए राजकॉम्प से वार्ता कर राजकॉम्प से लॉटरी निकलवाने की कार्यवाही की जावे।
- 4- बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्ता-विद्युत श्री डी.आर. गौड़ को विवेक विहार योजना की भूमि में से विद्युत लाईनों के शिफ्टिंग हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों से सम्पर्क कर आज ही तकमीना प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया।
- 5- लॉटरी के संबंध में विचार विमर्श किया गया। मुआवजाधारियों को मुआवजे के बदले भूखण्ड दिये जाने की प्रक्रिया के संबंध में उपायुक्त-दक्षिण को निर्देश दिये कि वे संपूर्ण स्थिति का अध्ययन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रक्रिया को अनुमोदित किया जा सके। योजनाक अलिए भूखण्ड आवंटन हेतु तैयार आवेदन पुस्तिका के ड्राफ्ट पर विचार विमर्श किया। पुस्तिका की कीमत 400/- रुपये प्रति पुस्तिका निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार विभिन्न आय वर्ग के लिए आवेदन-पत्रों के साथ जमा होने वाली पंजीकरण राशि भी निम्नानुसार निर्धारित की गयी:-

क्र.सं.	आवेदक का वर्ग	आय वर्ग	आवेदन-पत्र के साथ देय पंजीयन राशि	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1-	A	रुपये 10,000/- मासिक तक (अल्प आय वर्ग-ए/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	5,000/-	45
2-	B	रुपये 10,001/- से 15,000/- मासिक तक (अल्प आय वर्ग-बी)	10,000/-	90
3-	C	रुपये 15,001/- से 30,000/- मासिक तक (मध्यम आय वर्ग)	15,000/-	162
4-	D	रुपये 30,001/- से 45,000/- मासिक तक (मध्य आय वर्ग ए-1)	20,000/-	252
5-	E	रुपये 30,001/- से 45,000/- मासिक तक (मध्यम	20,000/-	275

281

		आय वर्ग ए-2)		
6-	F	रूपये 45,004/- स 65,000/- मासिक तक (मध्यम आय वर्ग -बी)	25,000/-	375

प्रस्ताव संख्या 3 :: अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के संबंध में विचार विमर्श

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2009 के मॉडल संख्या 4 के अन्तर्गत प्राधिकरण के क्षेत्राधीन राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 667, 668, 670, 671, 673, 674, 675, 676 एवं 677 में स्थित 82 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर बनायी योजना हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी।

सतारा प्रोपर्टीज, मुम्बई द्वारा 1212 आवासगृह जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 726 एवं अल्प आय वर्ग के लिए 486 आवासगृह तथा अरिहन्त सुपर स्ट्रैक्चर्स लिमिटेड मुम्बई द्वारा 1350 आवासगृह जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 844 आवासगृह तथा अल्प आय वर्ग के लिए 506 आवासगृह के प्रस्ताव दिये गये। समिति द्वारा निविदाओं के आधार पर जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स अरिहन्त सुपर स्ट्रैक्चर्स लिमिटेड मुम्बई द्वारा प्रस्तुत निविदा का राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी - 2009 के तहत आवंटित किये जाने वाले आवासगृहों के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। आवेदन-पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2011 से 28 फरवरी, 2011 तक आमंत्रित किये गये। प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच एवं पात्रता की जांच प्रक्रियाधीन है।

प्राप्त आवेदन-पत्रों के कम में आवासगृह आवंटित करने के संबंध में प्रक्रिया अपनाये जाने एवं अन्य नीतिगत निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवासगृह आवंटित करने हेतु लॉटरी की दिनांक 25 मई, 2011 तय करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के नोडल अधिकारी उपायुक्त-दक्षिण व अधिशाषी अभियन्ता-मुख्यालय को निर्देश दिये गये पॉलिसी के तहत प्राधिकरण को आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नये प्रस्ताव तैयार करें।

प्रस्ताव संख्या 4 :: प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमियों के भू-उपयोग उपयोग परिवर्तन प्रकरणों पर विचार विमर्श।

कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 2011 में विचार विमर्श उपरान्त निम्नलिखित भूमियों के भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर लिये जावे तथा प्राप्त आपत्ति/सुझाव का निस्तारण सचिव स्तर पर करने की कार्यवाही की जावे-

Handwritten mark

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा	वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	पालडी खिचियान	167	681-01 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय, सस्थानिक
		93/1	1000-00	परिधि नियंत्रण	

281

		आय वर्ग ए-2)		
6-	F	रुपये 45,001/- से 65,000/- मासिक तक (मध्यम आय वर्ग -बी)	25,000/-	375

प्रस्ताव संख्या 3 :: अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के संबंध में विचार विमर्श

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2009 के मॉडल संख्या 4 के अन्तर्गत प्राधिकरण के क्षेत्राधीन राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 667, 668, 670, 671, 673, 674, 675, 676 एवं 677 में स्थित 82 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर बनायी योजना हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी।

सतारा प्रोपर्टीज, मुम्बई द्वारा 1212 आवासगृह जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 726 एव अल्प आय वर्ग के लिए 486 आवासगृह तथा अरिहन्त सुपर स्ट्रैक्चर्स लिमिटेड मुम्बई द्वारा 1350 आवासगृह जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 844 आवासगृह तथा अल्प आय वर्ग के लिए 506 आवासगृह के प्रस्ताव दिये गये। समिति द्वारा निविदाओं के आधार पर जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स अरिहन्त सुपर स्ट्रैक्चर्स लिमिटेड मुम्बई द्वारा प्रस्तुत निविदा का राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी - 2009 के तहत आवंटित किये जाने वाले आवासगृहों के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। आवेदन-पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2011 से 28 फरवरी, 2011 तक आमंत्रित किये गये। प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच एवं पात्रता की जांच प्रक्रियाधीन है।

प्राप्त आवेदन-पत्रों के कम में आवासगृह आवंटित करने के संबंध में प्रक्रिया अपनाये जाने एवं अन्य नीतिगत निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवासगृह आवंटित करने हेतु लॉटरी की दिनांक 25 मई, 2011 तय करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के नोडल अधिकारी उपायुक्त-दक्षिण व अधिशाषी अभियन्ता-मुख्यालय को निर्देश दिये गये पॉलिसी के तहत प्राधिकरण को आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नये प्रस्ताव तैयार करें।

प्रस्ताव संख्या 4 :: प्राधिकरण के स्वागित्त्व की भूमियों के भू-उपयोग उपयोग परिवर्तन प्रकरणों पर विचार विमर्श।

कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 2011 में विचार विमर्श उपरान्त निम्नलिखित भूमियों के भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर लिखे जावे तथा प्राप्त आपत्ति/सुझाव का निस्तारण सचिव स्तर पर करने की कार्यवाही की जावे-

क. सं.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा	वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	पालडी खिचियान	187	681-01 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय, संस्थानिक
		93/1	1000-00	परिधि नियंत्रण	

289

			बीघा	पट्टी	आवासीय एवं व्यवसायिक
		123	19-14 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		74	23-15 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		64	273-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		154	246-02 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		95	129-02 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		106	573-15	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		93	2134-03 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		80	342-04 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
2.	झालामण्ड	413	74-09 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यवसायिक एवं संस्थानिक) एवं सार्वजनिक सुविधाएं
3.	भवाद	296	83-03 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यवसायिक एवं संस्थानिक) एवं सार्वजनिक सुविधाएं
4.	बड़ली	88	46 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
5.	कांकाणी	587	296-01 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यवसायिक एवं संस्थानिक) एवं सार्वजनिक सुविधाएं
6.	इन्द्रोका	83	2-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
7.	कैरू	852	5-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
8.	पोपावास	248/122	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
9.	घटियाली	298	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
10.	पुनिया की प्यारू	235/4	2-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
11.	चावण्डा	03	1-16 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
12.	कैरू	183	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
13.	सालोडी	635	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
14.	डेरियानाडा	506	1-11 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं

2963

15.	मथानिया	2	4-19 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
16.	खोरखरिया	119	39-07 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
17.	सूरपुरा	6	354-00 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
18.	सूरपुरा	7	10385-35 वर्ग गज	परिधि नियंत्रण पट्टी	सार्वजनिक सुविधाएं
19.	झालामण्ड	707	46-16 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय
		847	6-10	परिधि नियंत्रण पट्टी	आवासीय
20.	लोरडी पण्डित जी	100	172-10 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यवसायिक एवं संस्थानिक)
		103	196-09 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	
		104	291-01	परिधि नियंत्रण पट्टी	
21.	चौखा	827 / 650	340-07 बीघा	परिधि नियंत्रण पट्टी	बहुउद्देशीय (आवासीय, व्यवसायिक एवं संस्थानिक)

इस काम में प्राधिकरण द्वारा सूचना क्रमांक एफ.37/भूप/2011/224 दिनांक 11 अप्रैल, 2011 का प्रकाशन दैनिक नवज्योति व जलतेदीप अंक दिनांक 12 अप्रैल, 2011 में करवाया गया। प्रकाशित सूचना के काम में श्री जयप्रकाश कुमावत, संयोजक, जन सुविधा जागृत मंच, 7/95, के.के. कॉलोनी, बाराही प्रथम चरण, जोधपुर ने पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2011 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में श्री जयप्रकाश कुमावत द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में विचार विमर्श किया गया। आपत्तिकर्ता की आपत्ति खसरा संख्या 269/1 ग्राम कुडी भगतासनी के संबंध में पेश की गयी है। जिसके संबंध में गत बैठक में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। अतः आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को खारिज किया जाकर उपरोक्त वर्णित प्रकरण जो प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आते हैं, उनमें भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया जाता है तथा जो प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के अधिकारिता के प्रकरणों में प्राधिकरण की अनुसंधान के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को प्रकरण प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों की पुष्टि।

भू-उपयोग परिवर्तन के निम्नलिखित प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित किये गये हैं जो कार्यकारी समिति की कार्यान्तर पुष्टि हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है-

5 (1) :: राजस्व ग्राम सोडेर की ढाणी खसरा संख्या 200/5 रकबा 20 बीघा

284
भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री मानाराम, श्री दलाराम, श्री किशनराम, श्री पूनाराम पिसरान स्व. श्री भीकाराम वगैरह (भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 25/2010)

आवेदक श्री मानाराम, श्री दलाराम, श्री किशनराम, श्री पूनाराम पिसरान स्व. श्री भीकाराम, श्रीमती कमला देवा स्व. श्री भीकाराम निवासी ग्राम नान्दडा खुर्द तहसील व जिला जोधपुर जरिये आम मुख्याय श्री किशनाराम पुत्र स्व. श्री भीकाराम निवासी नान्दडा खुर्द, तहसील व जिला जोधपुर ने राजस्व ग्राम सोढेर की टाणी कें खसरा संख्या 200/5 रकबा 20 बीघा भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु आवेदन किया।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 2 अप्रैल, 2010 में सूचना का प्रकाशन करवाया गया जिसके क्रम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

आवेदित भूमि मुख्य बनाड सड़क से नान्दडा खुर्द, सोढेर की टाणी से शिकारगढ़ जाने वाले मार्ग पर सोढेर की टाणी गांव की आबादी के समीप विद्यमान है। मौके पर भूमि रिक्त है। आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क शिकारगढ़ से बनाड को जाती है। जिसका मास्टर प्लान में सड़क प्रतिरूप नहीं है। अतः मार्गाधिकार 100 फीट चौड़ाई में रखा जाना है। आवेदित भूमि से कुछ दूरी पर बी.एड कॉलेज, स्कूल व आवासीय भवन निर्मित एवं निर्माणाधीन है। आसपास में प्राधिकरण द्वारा कुछ कॉलोनियों में धारा 90-बी नियमन के तहत पट्टे जारी करने की कार्यवाही विचारधीन है तथा कुछ प्रकरणों में पट्टे जारी किये जा चुके हैं। आवेदित भूमि के आस-पास के क्षेत्र में नदी, नाले एवं पहाड विद्यमान नहीं हैं। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखे जाने की शर्त प्रस्तावित भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की अनुशंसा के साथ प्रकरण मुख्य नगर नियोक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम में रखकर निर्णित करवाने हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीट द्वारा डी.वी. सिविल रिट पिटीशन (पी.आई.एल.) 1554/2004 श्री गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान स्टेट व अन्य में आदेश दिनांक 9 दिसम्बर, 2010 को आदेश पारित कर परिधि नियंत्रण पट्टी में भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक लगायी है। अतः इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर ही भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकती है। अतः तदनुसार राज्य स्तरीय समिति को अवगत कराया जावे।

5 (2) :: राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 184 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री फोजाराम पुत्र श्री बीजाराम निवासी खोखरिया जिला जोधपुर (भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 32/2010)

आवेदक श्री फोजाराम पुत्र श्री बीजाराम निवासी खोखरिया जिला जोधपुर ने राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 184 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु आवेदन किया।

285

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार-पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 7 अप्रैल, 2010 में सूचना का प्रकाशन करवाया गया जिसके क्रम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्राथी द्वारा उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि जोधपुर - जयपुर रोड पर बनाड गांव से पूर्व स्थित पेट्रोल पम्प के समीप नान्दडा खुर्द राजस्व गांव जाने वाले मार्ग पर मुख्य मार्ग से लगभग 1.300 किलोमीटर अन्दर पूर्व दिशा में उक्त सड़क से बनाड राजस्व ग्राम आबादी की ओर जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की तरफ लगभग 4.400 किलोमीटर की दूरी पर विद्यमान है। प्रस्तावित भूमि उक्त सड़क के कुछ अन्दर की तरफ स्थित है। आसपास के क्षेत्र में भूखण्डों/सड़कों की संरचनाएं विद्यमान हैं। प्रस्तावित भूमि के दक्षिण में राजस्व रास्ता विद्यमान है। आसपास में प्राधिकरण द्वारा कुछ कॉलोणियों में धौरा 90-बी नियमन के तहत पट्टे जारी किये जा चुके हैं। प्रस्तावित भूमि मौके पर रिक्त है। भूमि के आस-पास के क्षेत्रों में कुछ मुटाम लगे हुए हैं। आवेदित भूमि के आस-पास के क्षेत्र में नदी, नाले एवं पहाड विद्यमान नहीं हैं। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर आवेदित भूमि के सहारे स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट रखे जाने की शर्त प्रस्तावित भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की अनुशंसा के साथ प्रकरण मुख्य नगर नियोक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम में रखकर निर्णित करवाने हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ। बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रस्ताव संख्या 5(3) में वर्णित प्रकरण तथा यह प्रकरण एक ही स्वामित्व की भूमि के हैं। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पी.आई.एल.) 1554/ 2004 श्री गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान स्टेट व अन्य में दिनांक 9 दिसम्बर, 2010 को आदेश पारित किया है जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार है:-

"..... As changes are also being made in the ecological zone and periphery belt including green belt, we deem it proper to direct the authorities not to effect any change without prior permission of the Court in the ecological zone and periphery belt area including green belt.

It is also made clear that ordinarily even the changes in other zone should not be made in the routine manner. It appears that changes are made in routine manner. In case, it is found that any change is found to be illegal, the responsibility shall be fixed on the individual Officer."

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में दिनांक 25 फरवरी, 2011 को परिपत्र क्रमांक प. 10 (35) नविवि/3/2010 जारी किया है। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 6 (IV) के अनुसार सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग - योजना क्षेत्र या राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनियां - खुला क्षेत्र, पार्क, खेल का मैदान, रिक्रियेशन, नर्सरी, सुविधा क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, अन्य सामुदायिक सुविधाएं जैसे - हॉस्पिटल, शमशान, कब्रिस्तान, बस स्टैण्ड, ट्रक टर्मिनस सरकारी/ अर्द्ध सरकारी कार्यालय, होलसेल अंबेजनेस, वेयर हाऊसिंग एवं गोदाम, स्पेशियलाइज्ड मार्केट इत्यादि के भू-उपयोग परिवर्तन नगर पालिका/नगर परिषद/ नगर निगम/ नगर विकास न्कास/ विकास प्राधिकरण स्तरीय

समिति के स्तर पर निषेध रहेंगे। अतः इस संबंध में संपूर्ण तथ्य अंकित करते हुए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

286

- 5 (3) :: राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 184 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री फोजाराम पुत्र श्री बीजाराम निवासी खोखरिया जिला जोधपुर। (भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 45/2010)

आवेदक श्री फोजाराम पुत्र श्री बीजाराम निवासी खोखरिया जिला जोधपुर ने राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 184 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु आवेदन किया।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार-पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 3 मई 2010 में सूचना का प्रकाशन करवाया गया जिसके क्रम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रार्थी द्वारा उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि जोधपुर - जयपुर रोड पर बनाड गांव से पूर्व स्थित पेट्रोल पम्प के समीप नान्दडा खुर्द राजस्व गांव जाने वाले मार्ग पर मुख्य मार्ग से लगभग 1.300 किलोमीटर अन्दर पूर्व दिशा में उक्त सड़क से बनाड राजस्व ग्राम आबादी की ओर जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की तरफ लगभग 1.400 किलोमीटर की दूरी पर विद्यमान है। प्रस्तावित भूमि उक्त सड़क के कुछ अन्दर की तरफ स्थित है। आसपास के क्षेत्र में भूखण्डों/सड़कों की संरचनाएं विद्यमान है। प्रस्तावित भूमि के दक्षिण में राजस्व रास्ता विद्यमान है। आसपास में प्राधिकरण द्वारा कुछ कॉलोनियों में धारा 80-बी नियमन के तहत पट्टे जारी किये जा चुके हैं। प्रस्तावित भूमि मौके पर रिक्त है। भूमि के आस-पास के क्षेत्रों में कुछ मुटाम लगे हुए हैं। आवेदित भूमि के आस-पास के क्षेत्र में नदी, नाले एवं पहाड विद्यमान नहीं हैं। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर आवेदित भूमि के सहारे स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट रखे जाने की शर्त प्रस्तावित भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की अनुशंसा के साथ प्रकरण मुख्य नगर नियोक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम में रखकर निर्णित करवाने हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ। बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रस्ताव संख्या 5(2) में वर्णित प्रकरण तथा यह प्रकरण एक ही स्वामित्व की भूमि के हैं। अतः प्रस्ताव संख्या 5 (2) अनुसार इस प्रकरण में कार्यवाही की जावे।

- 5 (4) :: राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 79 की 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय से होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने बाबत। प्रार्थी श्रीमती सुषमा गर्ग पत्नि श्री वरिन्द कुमार। (भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण 27/2010)

राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 79 की रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय से होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने बाबत प्रार्थीनी श्रीमती सुषमा गर्ग पत्नि श्री वरिन्द कुमार द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन किया गया है। उक्त प्रकरण बाबत आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु आम सूचना दो अखबारों में

287

प्रकाशित करवाई गई थी, जिसके क्रम में निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार उक्त आवेदित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में होकर जोधपुर - जयपुर मुख्य सड़क के दक्षिण में स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 160-200 फीट निर्धारित किया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन सड़क के मध्य से 100 फीट दूरी पर ही किया जाना उचित है। सड़क के सहारे सहारे दोनों ओर वाणिज्यिक गतिविधियां विकसित हो रही हैं। सड़क पर नियोजित रूप में कोई वाणिज्यिक केन्द्र भी विकसित नहीं हुआ है, जिसमें होटल्स के कोई प्रावधान किये गये हो। बनाड सड़क के सहारे-सहारे दक्षिण में पर्यटक सुविधाओं हेतु भूमि आरक्षित है। उक्त सड़क के दक्षिण की ओर से एक पॉथ सितारा होटल भी निर्मित हुई है। आवेदित भूमि का आकार भी पर्याप्त है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर आवासीय कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। राजस्थान पर्यटक इकाई नीति, 2007 के अनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने, उक्त क्षेत्र में विकसित हो रही वाणिज्यिक गतिविधियां तथा उक्त क्षेत्र में होटल की आवश्यकता को मद्देनजर आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की अनुशंसा के साथ प्रकरण के साथ मुख्य नगर नियोक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम में रखकर निर्णित करवाने हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। प्रकरण में वर्तमान में मौका रिपोर्ट प्राप्त करने पर जानकारी में आया है कि आवेदित भूमि प्रस्तावित आर.ओ.बी की भूमि में आ रही है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक की कितनी भूमि रेलवे ओवरब्रिज की सीमा में आ रही है, इसका आकलन निदेशक-अभियांत्रिक करेंगे तथा उसका अंकन मानचित्र पर कर प्रमाण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

5 (5) :: ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 101, 102 में स्थित भूखण्ड संख्या सी-9 रकबा 278.7 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती महक अयानी पत्नि श्री ललित निवासी प्लॉट संख्या 257, तीसरी बी रोड सरदारपुरा, जोधपुर (प्रकरण संख्या 130/2010)

आवेदक श्रीमती महक अयानी पत्नि श्री ललित निवासी प्लॉट संख्या 257, तीसरी बी रोड सरदारपुरा, जोधपुर द्वारा ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 101, 102 में स्थित भूखण्ड संख्या सी-9 रकबा 278.7 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया।

मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड मौके पर रिक्त है। आवेदक को आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु पत्र जारी किया गया लेकिन आवेदक द्वारा सूचना का प्रकाशन करवाकर समाचार-पत्र की प्रति इस कार्यालय में पेश नहीं की है।

प्रकरण में निदेशक-आयोजना की राय अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने से प्रकरण खारिज योग्य है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। समिति ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि पर भू-उपयोग परिवर्तन कर भूमि का क्या उपयोग होगा, इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

288

5 (6) :: ग्राम तनावडा तहसील लूणी के खसरा संख्या 26/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवासीय/पैरीफेरी बेल्ट से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती सीमा प्रजापत पत्नि श्री रामस्वरूप प्रजापत निवासी महावीर नगर, कुडी भगतासनी, जोधपुर (प्रकरण संख्या 140/2010)

आवेदक श्रीमती सीमा प्रजापत पत्नि श्री रामस्वरूप प्रजापत निवासी महावीर नगर, कुडी भगतासनी, जोधपुर द्वारा ग्राम तनावडा तहसील लूणी के खसरा संख्या 26/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवासीय/पैरीफेरी बेल्ट से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया।

प्रकरण कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 में जरिये प्रस्ताव संख्या 2 (45) प्रस्तुत हुआ जिसमें रीको, पर्यावरण, आर.एफ.सी. अधिकारियों के साथ बैठक रखकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके कम में निर्णय लिया जाना था जो अपेक्षित है।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

5 (7) :: 1- ग्राम निम्बला के खसरा संख्या 110/110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5 कुल रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा भूमि का पैरीफेरी बेल्ट से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री छगनलाल पुत्र श्री सांखला राम (प्रकरण संख्या 98/2010)
2- ग्राम निम्बला के खसरा संख्या 108 व 108/4 कुल रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा भूमि का पैरीफेरी बेल्ट से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री मुफ्तसिंह राव (प्रकरण संख्या 99/2010)

उपरोक्त दोनों प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुए। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रकरण पैरीफेरी बेल्ट से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का है। वर्तमान में पैरीफेरी बेल्ट से भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक है। अतः प्रकरण में आवेदक माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 6 :: गाडिया लौहार समाज के व्यक्तियों को मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में आवासगृहों का आवंटन।

जोधपुर शहर में गाडिया लौहार समाज के अनुमानतः 2100 परिवार निवास करते हैं। नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा बैठक दिनांक 29 जून, 2001 के प्रस्ताव संख्या 8 में निर्णय लिया गया कि गाडिया लौहार होने का प्रमाणिकरण समाज कल्याण विभाग से करवाकर यदि प्रस्तुत करते हैं तो न्यास की योजना मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में निर्मित आवास आवंटित किये जाएं। इसी कम में समाज कल्याण विभाग द्वारा 17,500/- रुपये प्रति परिवार अनुदान दिया गया है तथा न्यास स्तर पर 60 गाडिया लौहार परिवारों को हुडको की सहायता से निर्मित आवास आवंटित किये गये। किन्तु वर्तमान में मौके पर केवल 8 परिवार काबिज हैं, 52 परिवारों द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। इन काबिज गाडिया लौहार परिवारों द्वारा पुनः शेष किश्तें जमा करवाना प्रारम्भ कर दिया गया है किन्तु 52 परिवारों द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने के पश्चात् भी कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है न ही सहमति ही दी है। अतः नियमानुसार इन 52

परिवारों को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर मौके पर काबिज इसी समाज के 89 परिवार जो कि इन आवासगृहों में काबिज है, किन्तु मूल आवंटनी नहीं है, को पूर्व में किये गये आवंटन को निरस्त करते हुए मौके पर काबिज इसी समाज के परिवारों को पुनः आवंटन की प्रक्रिया हेतु शिथिलन प्रदान किया जाना है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: बैंक/वित्तीय संस्थाओं के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध (ट्राई पार्टी एग्रीमेंट) के निष्पादन के संबंध में।

प्राधिकरण द्वारा आवंटन/नीलाम से आवंटित भूखण्डों की कीमत राशि जमा कराये जाने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंक से आवंटियों द्वारा भूखण्ड की कीमत राशि जमा कराने के लिए ऋण हेतु आवेदन किया जाता है। जिसके कम में संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा आवंटनी, प्राधिकरण एवं संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध का प्रारूप निष्पादन हेतु जारी किया जाता है। इस संबंध में निर्णय लेने एवं प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि प्राप्त होने वाले ऐसे त्रिपक्षीय अनुबंध में अंकित शर्तों एवं उपबंधों का निदेशक-वित्त से गहन परीक्षण करवा लिया जावे और यदि कोई शर्त अथवा उपबंध प्राधिकरण के हितों के विपरीत नहीं होने की स्थिति में निदेशक-वित्त को प्राप्त होने वाले ऐसे त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाता है। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि संबंधित उपायुक्त ऐसे प्रकरणों में लीज डीड सीधे आवेदक को नहीं देकर लीज डीड निदेशक-वित्त को भिजवायी जावे ताकि निदेशक-वित्त संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को सुपुर्द कर सकें। लीज डीड पूर्ण मुद्रांकित होने की स्थिति में ही जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: 2 वर्ष से अधिक की समयावधि में आवंटित आवासगृहों की कीमत राशि जमा नहीं कराये जाने के संबंध में।

बैठक में अवगत कराया गया कि वाम्बे योजना चौखा एवं बासनी तम्बोलिया में आवासगृह आवंटित किये गये। निम्नलिखित आवंटियों द्वारा 2 वर्ष तक राशि जमानहीं करायी गयी। अब ऐसे आवासगृहों की राशि जमा कराना चाहते हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम व पिता/ पति का नाम	आवास संख्या	गृह	आवंटन पत्र जारी करने की तिथि	समयावधि
1-	श्री राजू बोरणा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण	सी-129	वाम्बे योजना चौखा	6 मार्च, 2007	4 वर्ष 3 माह
2-	श्री भैरलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल	सी-339	वाम्बे योजना चौखा	19 अप्रैल, 2007	4 वर्ष 2 माह
3-	श्री शम्भू पुत्र श्री बाबूलाल	37	वाम्बे योजना बासनी तम्बोलिया	20 अप्रैल, 2007	4 वर्ष 2 माह
4-	श्रीमती फरजाना पति श्री मोहम्मद असलम	सी-219	वाम्बे योजना चौखा	19 अप्रैल, 2007	4 वर्ष 2 माह

290

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त आवासगृहों की राशि जमा कराने की अधिकारिता राज्य सरकार की है। अतः प्राधिकरण की अनुशंसा के साथ आवासगृहों की राशि जमा कराने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: उम्मेद उद्यान के हस्तान्तरण के संबंध में।

बैठक में उम्मेद उद्यान को प्राधिकरण को हस्तान्तरण करवाने की कार्यवाही के क्रम में विचार विमर्श करने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उम्मेद उद्यान को पूर्ण रूप से स्वामित्व सहित प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने हेतु प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान को लिखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: प्राधिकरण की भूमि पर जोधपुर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा खम्भे आदि लगाने के संबंध में।

बैठक में अवगत कराया गया कि जोधपुर विद्युत-प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा सूरपुरा में जी.एस.एस. के पास 400 कं.वी० की लाईन तथा अन्य खम्भे आदि लगाने में प्राधिकरण की भूमि का उपयोग लिया है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा प्राधिकरण की भूमि के किये गये ऐसे उपयोग हेतु आरक्षित दर से राशि वसूल करने हेतु मांग-पत्र जारी किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2011 / DC(E) 1802-II / 1143-72 दिनांक 19 मई, 2011


प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर
02. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर
04. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
07. प्रबन्धक निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
10. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
11. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक नगर नियोजन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. निदेशक, शिक्षा, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

281

15 निजी सचिव (आयुक्त सचिव) बोधपुर विकास प्राधिकरण, बोधपुर

16



सचिव
बोधपुर विकास प्राधिकरण
बोधपुर

292

परिशिष्ट--1

दिनांक 5 मई, 2011 को, प्रातः 11:00 बजे आयोजित श्री विद्यार्थ महाजन, जिला कलेक्टर एवं आयुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

1.	श्री हरजी राम अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	श्री टी.सी. छंगाणी, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर
3.	श्री महेन्द्र सांखला, अधीक्षण अभियन्ता सीसीसी, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4.	श्री दिलीप जारखड, अति. पुलिस आयुक्त, यातायात, जोधपुर
5.	श्री विलाश दवे, आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर
6.	श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक--वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री वी.के. जैन, रीजनल मैनेजर, रीको, जोधपुर
8.	श्री पी.सी. गौड़, सहायक पर्यटन अधिकारी, जोधपुर

उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे:-

1.	श्रीमती अजरा परवीन, उपायुक्त-पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	श्री वासुदेव मालावत, उपायुक्त-दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	श्री एन.के. बंसल, उपायुक्त-उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर